

आवेदन पत्र के-सूचक में खस की गई। जिसके अनुसार ग्राम सिंगौरी की जमाबन्दी संख्या 2075-78 का नाम उद्योगपुत्र पु. रामधन दुर्ग है जो कि उल्लेख है। प्रार्थी द्वारा भेजा दस्तावेज आधार कार्ड, रजिस्ट्रार कार्ड, मंडला चक्रान्त पत्र आदि की दृष्टिगत में प्रार्थी का नाम श्रीचन्द्र पु. रामधन है जो कि सही नाम है। अतः उक्त खस की प्रार्थी का नाम उद्योगपुत्र पु. रामधन की जगह श्रीचन्द्र पु. रामधन दुर्ग करना प्रस्तावित है।

प्रशासन गाँवों के खस अभियान 2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिरक्षा की जाती है /नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

09/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1115  
9-11-21

न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला हुंडुनू (राज.)  
— आदेश —

दिनांक :- 9/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, मंत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सिंगौरी	2075-78	542	श्रीचन्द्र पु. रामधन	श्रीचन्द्र पु. रामधन

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय व पालना की जावे।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 865-806  
तेलिपि :-

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

दिनांक :- 9-11-21

को सन्तुष्टार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी